राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त सोनू पूर्व से अनुपस्थित। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के माध्यम से जारी गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त है कि वह घर पर नहीं मिला है, साथ में तश्दीक पंचनामा संलग्न है जिसके अनुसार अभियुक्त का कोई पता नहीं चल रहा है।

तामीलकर्ता पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक के०एस० तोमर उपस्थित, उसके कथन पृथक से लेखबद्ध किये गये। गिरफ्तारी वारण्ट पर अंकित रिपोर्ट को प्र0सी० 1 व संलग्न तश्दीक पंचनामा को प्र0सी० 2 से चिन्हित किया गया।

अभियुक्त सोनू तोमर इस मामले में पूर्व से अनुपस्थित है, लगातार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये गये हैं और तामील नहीं कराई जा सकी है। आज प्रस्तुत तामील रिपोर्ट, तश्दीक पंचनामा एवं तामीलकर्ता पुलिस अधिकारी के कथन से यह समाधानप्रद रूप से साबित किया गया है कि अभियुक्त दिये गये पते पर नहीं रह रहा है, उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है और अभियुक्त जान—बूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है।

अतः अभियुक्त सोनू तोमर को फरार घोषित किया जाता है और उसके विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जाये।

इस मामले में साक्ष्य सूची में नामित सभी महत्वपूर्ण साक्षियों सुरेश दुबे अ0सा0 1, राजू शाक्य अ0सा0 2, सुरेश सिंह भदौरिया अ0सा0 3, रामहरि शर्मा अ0सा0 4 एवं नरेन्द्र सिंह अ0सा0 5 को परीक्षित किया जा चुका है और प्रकरण अभियुक्त कथन के प्रक्रम पर है।

प्रकरण के कवर पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है और प्रकरण सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

> (ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी भिण्ड (म०प्र०)